UPJL010011452026

Presented on : 21-02-2026
Registered on : 21-02-2026
Decided on : 16-03-2026
Duration : 0 years, 0 months, 23 days

IN THE COURT OF
Spl. Judge D.A.A
AT ,Jalaun
(Presided Over by Dr. Avanish Kumar-II)
Anticipatory Bail App/125/2026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (द.प्र.क्षे.), जालौन स्थान उरई।
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–125/2026

सीताराम, पुत्र श्री मोतीराम, निवासी 155 बरड वालों की ढ़ाणी गांव पणी हारी, श्यामपुरा, जोबनेर, जयपुर राजस्थान। .....अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार .....लोक अभियोजक

मु.अ.सं.–07/2025
धारा–316(3) बी.एन.एस.
थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन।

दिनांक–16.03.2026

प्रार्थी/अभियुक्त सीताराम, पुत्र श्री मोतीराम, निवासी 155 बरड वालों की ढ़ाणी गांव पणी हारी, श्यामपुरा, जोबनेर, जयपुर, राजस्थान की ओर से मु.अ.सं. 07/2025, अन्तर्गत धारा 316(3) बी.एन.एस., थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन के प्रकरण में अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में यह कथन किया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है, उसने कोई जुर्म नहीं किया है। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट करीब 25 दिन बाद विलम्ब से लिखायी गयी है। तथाकथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट के मुताविक नामजद अभियुक्त नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ी नम्बर ए.एस. 25 एफ.सी. 5388 गणेश ट्रांसपोर्ट कम्पनी कानपुर बिल्टी सं. 1412 के तहत लोड होना बताया गया है तथा ड्राईवर नरेश द्वारा लेकर जाना बताया गया है, जिसका कि प्रार्थी/अभियुक्त से कोई लेना देना नहीं है तथा प्रार्थी अभियुक्त ने कोई माल को खिल्त नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी अपनी विश्वसनीय जमानत दाखिल करने को तैयार है। अतः निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को दौरान विचारण अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए जमानत निरस्त करने की याचना की गयी है।

Digitally signed by AVANISH KUMAR
Date: 2026.03.16 14:56:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना तथा पत्रावली एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

धारा–438(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश राज्य के लिए यथा लागू) के अनुसार अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर न्यायालय द्वारा अन्य बातों के साथ–साथ इन बातों पर भी विचार किया जाना चाहिए अर्थात–

(i) अभियोग की प्रकृति और गम्भीरता,

(ii) आवेदक का पूर्ववृत्त, जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कि क्या वह किसी संज्ञेय अपराध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर पहले ही कारावास भुगत चुका है,

(iii) न्याय से भागने की आवेदक की सम्भाव्यता, और

(iv) जहॉ आवेदक को उसे इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुॅचाने या अपमानित करने के उद्वेश्य से अभियोग लगाया गया हो।

अग्रिम जमानत के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत **गुरूबक्स सिंह सिब्बिया आदि बनाम पंजाब राज्य (1980) 2 सुप्रीम कोर्ट केसेज 581 व 582** महत्वपूर्ण है जिसमें निम्नलिखित सिद्धान्त का उल्लेख किया गया है–Mere general allegations of mala fides in the petition are inadequate. The court must be satisfied on materials before it that the allegations of mala fides are substantial and the accusation appears to be false and groundless.

इसके संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है– Does this rule mean, and that is the argument of the learned Additional Solicitor General, that anticipatory bail cannot be granted unless it is alleged (and naturally, also shown, because mere allegation is never enough) that the proposed accusations are mala fide? It is understandable that if mala fides are shown, anticipatory bail should be granted in the generality of cases. But it is not easy to appreciate why an application for anticipatory bail must be rejected unless the accusation is shown to be mala fide. This, truly, is the risk involved in framing rule by judicial construction. Discretion, therefore, ought to be permitted to remain in the domain of discretion, to be exercised objectively and open to correction by the higher courts. The safety of discretionary power lies in this twin protection which provides a safeguard against its abuse.

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि वादी अंकित मिश्रा ने थाना कोतवाली उरई में इस आशय की तहरीर दिनांक 04.01.2025 को दी कि मेरा नाम अंकित मिश्रा, पुत्र श्री प्रकाश मिश्रा है। मैं फारमर कोमोडीटियस एन्टरप्राईजेज GSTNO 08ARUPM2461J2Z7 का मालिक हूं। मेरे office का पता – 85 A शिव पथ 21 south colony निवारु रोड झोटवाडा जयपुर है। यहां से मेरा FIRM संचालित है।

महोदय मैं GOVT की MSP की सरसो AUCTION के तहत लेता हूं। इसी प्रकार हमने 100 MT सरसो ऊरई U.P. NEFED से लिया था व जो कि 1 गाडी AS 25 FC 5388 हमारे द्वारा दिनांक 11.12.24 को बिल नं. 1697 Eway 6iiinum–7014841XXXXX लोड करवाया था, जो कि गणेश ट्रांसपोर्ट कं. कानपुर बिल्टी सख्या 1412 के तहत लोड हुआ था, जो कि ड्राइवर नरेश 78218XXXXX (mob) लेकर निकला था, यह गाडी अब तक हमारे द्वारा बेचान जगह नहीं पहुंचा, कृपया हमारे माल जिसकी कीमत रूपये 1315404/– है, वह दिलवाने का कष्ट करें। वादी की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली उरई में ड्राईवर नरेश के विरूद्ध दिनांक 04.01.2025, अ.सं.07/2025 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी गयी। केस डायरी पर्चा संख्या 04 में वादी मुकदमा के बयान से यह तथ्य सामने आया है कि उक्त ड्राईवर का असली नाम सीताराम बल्डवाल, पुत्र मोतीराम बल्डवाल, निवासी पनियारी, थाना फुलेरा, जनपद जयपुर राजस्थान आया है, जो आपराधिक प्रवृत्ति का है। फुलेरा थाने का हिस्ट्रीशीटर है तथा कई आपराधिक अभियोग पंजीकृत हैं। केस डायरी पर्चा सं. 05 में प्रश्नगत माल की कीमत 13 लाख 15 हजार 404 रूपये बतायी गई है। केस डायरी पर्चा सं. 7, 9, 10, 14, 15, 18, 19 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त सीताराम के अंकित पते पर लगातार दबिश दी जा रही है, परन्तु वह दस्तयाब नहीं हो रहा है। केस डायरी पर्चा सं. 26 से 29 में अभियुक्त सीताराम की तलाश लगातार सर्विलांस से किये जाने का उल्लेख अंकित है। केस डायरी पर्चा सं. 07 में अभियुक्त सीताराम के विरूद्ध 18 किता आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है। केस डायरी पर्चा सं. 30 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवेचक द्वारा न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जालौन स्थान उरई से अभियुक्त के विरूद्ध गैर जमानतीय वारण्ट निर्गत किये जाने की याचना की गई थी, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 17.12.2025 को अभियुक्त के विरूद्ध गैर जमानतीय वारण्ट भी निर्गत किया गया है। उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त लगातार फरार चल रहा है, विवेचना में हाजिर होकर सहयोग नहीं कर रहा है, उसके विरूद्ध न्यायालय द्वारा दिनांक 17.12.2025 को अभियुक्त के विरूद्ध गैर जमानतीय वारण्ट भी निर्गत किया गया है। ऐसी दशा में अभियुक्त सीताराम को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने के आधार पर्याप्त नहीं है। अतः अभियुक्त सीताराम का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त सीताराम, पुत्र श्री मोतीराम, निवासी 155 बरड वालों की ढ़ाणी गांव पणी हारी, श्यामपुरा, जोबनेर, जयपुर राजस्थान की ओर से मु.अ.सं. 07/2025, अन्तर्गत धारा 316(3) बी.एन.एस., थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन के के प्रकरण में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः–16.03.2026

(डा. अवनीश कुमार–।।)
विशेष न्यायाधीश (द.प्र.क्षे.),
जालौन स्थान उरई।